

प्रभु,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
मुजफ्फरनगर।

सेवा में,

प्रबन्धक,

होली हवन पाब्लिक स्कूल,
धिंदहली (अन)

पत्रांक/शि0स0/ 5365

/2008-09

दिनांक : 27/09/08

विषय :- प्राइमरी स्तर की नवीन अस्थायी मान्यता के सम्बन्ध में।

महोदय,

राजाज्ञा संख्या/107315-06-98-18 (एस)(7)/89 शिक्षा (6) अनुभाग लखनऊ :
दिनांक 10 सितम्बर, 1998 एवं सचिव उ0प्र0 बे0शि0प0, इलाहाबाद के पत्र सं0/बे0शि0प0/सा0-5/78-413/
989-2000 दिनांक 16.04.99 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत आपके आवेदन पर जिला मान्यता समिति
मुजफ्फरनगर की बैठक दिनांक 21.12.98 में लिये गये निर्णयानुसार सूच्य है कि आपके विद्यालय को
अस्थायी मान्यता प्राप्त निम्नांकित प्रतिबन्धों के अधीन पत्र निर्गत होने की तिथि से प्रदान की जाती है।

1. मान्यता पत्र निर्गत होने की तिथि से विद्यालय में समस्त अध्यापक स्नातक प्रशिक्षित रख लिये जायें और अध्यापकों को निर्धारित वेतनक्रम दिया जाये।
2. अध्यापकों को वेतन का भुगतान बैंक में खुले खाते के माध्यम से किये जायें।
3. रुपये 3000/- (तीन हजार रुपये) विद्यालय प्रबन्धक के पदनाम जमा हों तथा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, मुजफ्फरनगर के पदनाम बंधक हों।
4. समिति रजिस्ट्रेशन का नवीनीकरण यथासम्भव कराते रहें।
5. विद्यालय की दूसरी शाखा न खोली जायें।
6. विद्यालय में निर्धारित पाठ्यक्रम लागू रखा जाये।
7. निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क कदापि न लिया जाये।
8. अध्यापकों का अनुमोदन एक माह के भीतर करा लिया जाये।
9. विद्यालय भवन विद्यालय के नाम एक माह के भीतर करा लिया जाये।
10. 5 वर्ष की अवधि में स्थायी मान्यता लेना अनिवार्य होगा।

यदि विद्यालय प्रबन्धक द्वारा उक्त शर्तों का पालन नहीं किया जाता है तो आपके विद्यालय की अस्थायी मान्यता उसी समय समाप्त कर दी जायेगी, जिसका उत्तरदायित्व आपका स्वयं का होगा।


MANAGER
Holy Heaven Public School
Dhindhali - Unn - SHAMLI


PRINCIPAL
Holy Heaven Public School
Dhindhali - Unn - SHAMLI

भवदीय
(रविदत्त)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
मुजफ्फरनगर

पू0सं0/शि0स0/

/2008-09

दिनांक : उपरोक्त।

प्रतिलिपि निम्न अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. डप बेसिक शिक्षा अधिकारी, मुजफ्फरनगर।
2. सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी अन

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
मुजफ्फरनगर

प्रेषक,

मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (वेसिक)

मेरठ/सहारनपुर मण्डल।

सेवा में,

प्रबन्धक, होली हेवन पब्लिक स्कूल

दिहाली, मुजफ्फरनगर

पत्रांक सं०: प्रबन्ध/ 1565-69 /2009-10

दिनांक: 30.7.9

विषय:- जूनियर स्तर की नवीन अस्थाधी मान्यता की स्वीकृति।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके आवेदन पत्र एवं निरीक्षक वर्ग की आख्या के आधार पर मण्डलीय मान्यता, समिति की बैठक दिनांक 25.07.2009 में लिये गये निर्णयानुसार राजाज्ञा संख्या 646/15-8-917-18 एस. (7) 89/शिक्षा (6) अनुभाग लखनऊ दिनांक 13 अगस्त 1997 में किये गये प्राविधानों के अन्तर्गत निम्नांकित कतिपय प्रतिबन्धों के साथ आपके विद्यालय को जूनियर हाई स्कूल (कक्षा 6 से 8 तक) स्तर की नवीन अस्थाधी मान्यता प्रदान की जाती है।

प्रतिबन्ध :-

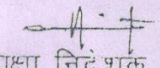
- 1) विद्यालय की अस्थाधी मान्यता तब तक चलती रहेगी जब तक कि स्थायी मान्यता की शर्तें पूर्ण कर अस्थाधी मान्यता को स्थायी मान्यता में परिवर्तित नहीं किया जा सके।
- 2) विद्यालय में शिक्षकों का नियुक्ति के बिना संस्था द्वारा कक्षा अथवा विषय के अनुसार शिक्षकों का नियुक्ति नहीं किया जायेगा।
- 3) विद्यालय में शिक्षकों के शैक्षणिक एवं राष्ट्रीय एकता, राष्ट्र ध्वज का प्रदर्शन, सभाओं तथा प्रतियोगिताओं की सम्पत्ति के लिये जारी विभिन्न आदेशों का पालन अनिवार्य रूप से कराया जाये।
- 4) विद्यालय में शिक्षकों का समयानुसार नवीनीकरण कराया जाये।
- 5) शिक्षकों का द्वारा निर्धारित वरों के अङ्कूल ही शुल्क लिया जायेगा तथा विद्यालयों के शिक्षकों के निधियों का लेखा उचित रूप से रखा जायेगा। भवन शुल्क/कैम्पेडेशन शुल्क के रूप में कोई धनराशि विद्यालयों से लिया जाना वर्जित होगा।
- 6) विद्यालय में शिक्षकों के शिक्षणोत्तर कर्मचारियों को वही वेतनमान दिया जायेगा जो कि शिक्षकों के समान अर्हता वाले शिक्षकों को मिल रहा है।
- 7) विद्यालय में शिक्षा अभिज्ञता की स्वीकृति के बिना संस्था द्वारा कक्षा अथवा विषय के अनुसार शिक्षकों का नियुक्ति नहीं किया जायेगा।
- 8) विद्यालय में शिक्षा का माध्यम देवनागरी लिपि होगी, हिन्दी अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाई जायेगी। विद्यालय में अस्वीकृत पुस्तकों का प्रयोग नहीं किया जायेगा।
- 9) विद्यालय में सभी वर्ग, धर्म तथा जाति के बच्चों का प्रवेश किया जाना अनिवार्य होगा।
- 10) विद्यालय में समस्त प्रशिक्षित अध्यापक, अध्यापिकाओं की नियुक्ति की जाये तथा विभाग से उनका अनुमोदन प्राप्त किया जाये।

MANAGER
Holy Heaven Public School
Dhindhali - Unn - SHAMLI

PRINCIPAL
Holy Heaven Public School
Dhindhali - Unn - SHAMLI

- 11) विभाग में कार्यरत कर्मचारियों के बच्चों एवं आश्रितों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाये।
- 12) विभागीय आदेशों का पालन किया जाये।
- 13) विद्यालय के समस्त स्थायी अध्यापक/अध्यापिकाओं पर भविष्य निर्वाह निधि की योजना लागू की जानी चाहिए।
- 14) विद्यालय का निरीक्षण शिक्षा विभाग के अधिकारियों द्वारा कभी भी किया जा सकता है। विद्यालय शिक्षा विभाग के शिक्षण और तालिम सम्बन्धित कार्य निर्देशों का पालन करेगा।
- 15) विभागीय आदेशों/नियमों की अवहेलना करने पर मान्यता समाप्त की जा सकती है।
- 16) जिन विद्यालयों के शिक्षण कक्ष छोटे हैं वह 10 स्क्वायर फीट के हिसाब से छात्र संख्या निर्धारित करते हुए छात्रों को बैठाये तथा भविष्य में विभागीय निर्धारित माप 20X25 की माप के कक्षों का निर्माण करायें।

भवदीय,


 सहायक शिक्षा निदेशक (वेसिक)
 मेरठ/सहारनपुर मण्डल

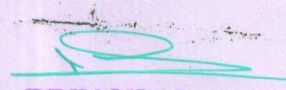
प्रतिलिपि निम्नांकित अधिकारियों की सेवा में सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर शिक्षा निदेशक (वेसिक) उ.प्र. इलाहाबाद।
2. सचिव, वेसिक शिक्षा परिषद, उ.प्र., इलाहाबाद।
3. जिला वेसिक शिक्षा अधिकारी। मुजफ्फरनगर
4. उप वेसिक शिक्षा अधिकारी। मुजफ्फरनगर
5. सहायक वेसिक शिक्षा अधिकारी। सम्बन्धित


MANAGER
 Holy Heaven Public School
 Dhindhali - Unn - SHAMLI

सहायक शिक्षा निदेशक (वेसिक)
 मेरठ/सहारनपुर मण्डल

jhr/ks


PRINCIPAL
 Holy Heaven Public School
 Dhindhali - Unn - SHAMLI